



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या:

प्लेक्स/सर्किल/186

26/05/2025

प्रति,

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) पर कोर समिति में उठाए जाने वाले संभावित मुद्दों के बारे में इनपुट के लिए अनुरोध

यह जून 2025 में होने वाली डब्ल्यूटीओ टीबीटी समिति की आगामी बैठक के संदर्भ में है। ये बैठकें सदस्य देशों को अन्य देशों द्वारा अधिसूचित और व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले टीबीटी उपायों के संबंध में अपनी चिंताओं को उठाने का अवसर देती हैं।

डब्ल्यूटीओ व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) समिति यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि तकनीकी विनियम, मानक और अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनावश्यक बाधाएं पैदा न करें।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे गैर-टैरिफ उपायों से संबंधित मुद्दों/चिंताओं पर इनपुट 28 मई, 2025 तक bharti@plexconcil.org anirudha@plexconcil.org पर साझा करें।

सादर,

भारती पारवे
उप निदेशक – व्यापार एवं नीति

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद